न्यायालय अपर समाहर्त्ता, पटना

विविध शिकायत वाद संख्या–19 / 2017–18

अरविन्द कुमार बनाम राम प्रवेश सिंह वगैरह

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
10/8/18	**आदेश** इस वाद की कार्यवाही जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, पटना के पत्रांक 4137 दिनांक 16.08.2017 से प्राप्त श्री अरविन्द कुमार, पिता भगवान शर्मा, ग्राम–सोना, थाना–नौबतपुर, जिला–पटना के परिवाद पत्र अनन्य वाद सं0 428110107081701146 के आलोक में आरम्भ की गयी। **परिवादी अरविन्द कुमार के परिवाद पत्र के अनुसार** (1) नौबतपुर अंचल अंतर्गत मौजा–बाजन चक थाना नं0 203, खाता नं0 03 एवं 86 बकास्त मालिक भूमि है। (2) खाता नं0 03 एवं 86 रकवा $1.54\frac{1}{2}$ एकड़ के लिए राम प्रवेश सिंह, पिता मथुरा सिंह एवं राम ध्यानी सिंह, पिता मथुरा सिंह के नाम पर जमाबंदी सं0 27 कायम है जो बिना किसी आधार एवं सक्षम आदेश के अवैध रूप से कायम की गयी है। (3) परिवादी के द्वारा जमाबंदी सं0 27 को रद्द करने का अनुरोध किया गया है। इस संबंध में अंचलाधिकारी, नौबतपुर से जांच प्रतिवेदन की मांग की गयी। अंचलाधिकारी, नौबतपुर के द्वारा पत्रांक 1176 दिनांक 17.11.2017 से राजस्व कर्मचारी का प्रतिवेदन संलग्न कर भेजा गया है। राजस्व कर्मचारी के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा बाजनचक, थाना नं0 203 में मथुरा सिंह, पिता लक्ष्मी सिंह के नाम से जमाबंदी सं0 27 कायम है, जो वर्ष 1979–80 से चल रही है, जिसका खाता सं0 86 एवं 3 रकवा $1.54\frac{1}{2}$ एकड़ है। जमाबंदी बिना किसी सक्षम पदाधिकारी एवं बिना किसी आधार का है। **विपक्षी के द्वारा उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा गया तथा साक्ष्य प्रस्तुत किया गया। विपक्षी के अनुसार** (1) प्रश्नगत भूखण्ड उनके पूर्वज का है, जिस पर वे दखलकार है तथा बहुत पहले से लगान रसीद कट रही है। (2) प्रश्नगत भूखण्ड से परिवादी को कोई मतलब नहीं है। प्रश्नगत भूखण्ड पर आवेदक का कोई दावा नहीं बनता है। (3) प्रश्नगत भूखण्ड को लेकर इस वाद के परिवादी अरविन्द कुमार	